अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम ब्यावर

श्री सुरेश कुमार बनाम श्री नारायणलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – इजराय मु.नं. 37/2017

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-1-17 वकील डिक्रीदार उपस्थित। इजराय पर जाच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण एवं हुक्मनामा जारी होकर दिनांक 24-1-18 को पेश हो। पीयूष समारिया उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	
24-1-18 तहसील ए.फरी.उप./पी.ओ.सा.दीगर प्रशा. कार्यों व्यस्त/..... पधारे हैं। मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु पी.ओ. समक्ष दिनांक 14-2-18 को पेश हों।	
14-2-18 तहसील ए.फरी.उप./पी.ओ.सा.दीगर प्रशा. कार्यों व्यस्त/..... पधारे हैं। मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु पी.ओ. समक्ष दिनांक 27-3-18 को पेश हों।	
27-3-18 बकुल तहसील ए.फरी.उप./पी.ओ.सा.दीगर प्रशा. कार्यों व्यस्त/..... पधारे हैं। मिसल वास्ते नियत कार्यवाही हेतु पी.ओ. समक्ष दिनांक 30-4-18 को पेश हों।	
24-4-18 राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत में रखने हेतु प्रकरण आज नम्बर पर लिया गया। इस हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी हो। मिसल कैम्प तारागढ़ में दिनांक 11-5-18 को पेश हो। पीयूष समारिया उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	
11-5-18 पत्रावली आज वादग्रस्त लोक अदालत कैम्प तारागढ़ में पेश हुई। चूंकि मूल वाद सं. 4420/15 निर्णीत दि. 12-5-17 के पश्चात अन्तर्गत आदेश 152 जा.सी. के तहत आज संशोधित आदेश पारित किया गया, जिसके आलोक पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जा चुका है अतः इजराय पर कार्यवाही इसी स्तर पर खारिज की जाती है। मिसल कैसल कुमार होकर नम्बर से कम हो। पीयूष समारिया उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर सुरेश कुमार	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official